



उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा की कार्यसूची

गुरुवार, 02 चैत्र, शक संवत्, 1928

(दिनांक : 23 मार्च, 2006)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्न (देखिए नत्थी "क")।
2. मुख्यमंत्री, संविधान के अनुच्छेद-151 के खण्ड-2 के वर्ष, 2004-2005 (उत्तरांचल सरकार) के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे सदन के पटल पर रखेंगे।
3. कृषि मंत्री, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2005 को सदन के पटल पर रखेंगे।
4. सचिव, विधान सभा घोषित करेंगे कि :-
 - (1) बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17 जनवरी, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 06 जून, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का बीसवां अधिनियम बन गया।
 - (2) उत्तरांचल विनियोग (2005-2006 का अनुपूरक) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 06 अक्टूबर, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 19 अक्टूबर, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का इक्कीसवां अधिनियम बन गया।

- (3) उत्तरांचल राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 अक्टूबर, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का बाईसवां अधिनियम बन गया।
- (4) उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 अक्टूबर, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का तेईसवां अधिनियम बन गया।
- (5) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 अक्टूबर, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का चौबीसवां अधिनियम बन गया।
- (6) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 28 अक्टूबर, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का पच्चीसवां अधिनियम बन गया।
- (7) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1981) (संशोधन) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 28 अक्टूबर, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का छब्बीसवां अधिनियम बन गया।
- (8) उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 24 अक्टूबर, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 09 नवम्बर, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का सत्ताईसवां अधिनियम बन गया।
- (9) उत्तरांचल राज्य महिला आयोग विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 24 अक्टूबर, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 09 नवम्बर, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का अट्ठाईसवां अधिनियम बन गया।

- (10) उत्तरांचल आपदा न्यूनीकरण, प्रबन्धन तथा निवारण विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 24 अक्टूबर, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 10 नवम्बर, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का उन्नतीसवां अधिनियम बन गया।
- (11) उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायत राज (छ्वा संशोधन) विधेयक, 2005 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 24 अक्टूबर, 2005 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 10 नवम्बर, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2005 का तीसवां अधिनियम बन गया।
5. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
 6. डा0 नारायण सिंह जन्तवाल, सदस्य, विधान सभा, “जनपद नैनीताल के भुजियाघाट में अत्यधिक क्षतिग्रस्त सिंचाई गूल का पुनः निर्माण के सम्बन्ध में” श्रीमती निर्मला जीना एवं अन्य निवासीगण, जनपद नैनीताल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
 7. डा0 नारायण सिंह जन्तवाल, सदस्य, विधान सभा, “जनपद नैनीताल में खुर्पाताल के अन्तर्गत जोग्यूड़ा व उसके आस-पास गांवों को भू-कटाव से सुरक्षा के सम्बन्ध में” श्री राजेन्द्र सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद नैनीताल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
 8. श्री प्रकाश पन्त, सदस्य, विधान सभा, “जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत नगरपालिका कोटद्वार के मानपुर शिवपुर, आमपड़ाव क्षेत्र के प्रमुख मार्ग का निर्माण करने के सम्बन्ध में” श्री अरुण द्विवेदी एवं अन्य निवासीगण, जनपद पौड़ी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
 9. श्री हरबंश कपूर, सदस्य, विधान सभा, “देहरादून विधान सभा के अन्तर्गत शान्ति विहार, मित्रलोक कालोनी, श्री देव सुमन नगर मलिन बस्ती आदि क्षेत्र में स्थित गन्दे नाले की नियमित एवं समुचित सफाई व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में” श्री राम नाथ एवं अन्य निवासीगण, जनपद देहरादून द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
 10. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।
 11. नियम 315 के खण्ड (14) व (15) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

12. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

13. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

14. श्री सुबोध उनियाल निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-

“यह सदन श्री राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2006 को दिए गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है”

श्री विजयपाल सिंह सजवाण उक्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

(प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिए नत्थी (ख))

15. नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

देहरादून :

दिनांक : 23 मार्च, 2006

आज्ञा से,

(महेश चन्द्र)
सचिव।



उत्तरांचल विधान सभा

प्रथम सत्र, 2006

का प्रथम गुरुवार

उत्तरांचल विधान सभा की कार्यसूची

गुरुवार, 02 चैत्र, शक संवत्, 1928

(दिनांक : 23 मार्च, 2006)

नत्थी “क”

तारांकित प्रश्न

श्री प्रीतम सिंह पंवार
23-12-2005

*1. क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नये पंचायती राज अधिनियम में पूर्व की भांति छोटे-छोटे विवादों को सुलझाने व विवादों के निपटारे के लिये न्याय पंचायतों की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायती राज

श्री मदन कौशिक
27-12-2005

*2. क्या खाद्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में रसोई गैस का गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है? यदि हाँ, तो रसोई गैस की समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या योजना बनायी गयी है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि गैस की कालाबाजारी रोकने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य

श्री हरबंस कपूर
03-03-2006

*3. क्या खेलकूद मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल की अस्थाई राजधानी देहरादून में खेलकूद एवं युवा कल्याण के संवर्द्धन एवं विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का कोई स्टेडियम बनाया जायेगा? यदि हाँ, तो कहां और कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

खेलकूद

अतारांकित प्रश्न

डा० नारायण सिंह जन्तवाल 06-01-2006	1. क्या खेल मंत्री अवगत हैं कि दिनांक 22 सितम्बर, 2005 को पोखराड़, जनपद नैनीताल में मुख्यमंत्री द्वारा भीमताल स्थित रामलीला मैदान में मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो मिनी स्टेडियम के निर्माण को कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	खेल
श्रीमती आशा नौटियाल 10-01-2006	2. क्या खाद्य आपूर्ति मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे की जनपद रुद्रप्रयाग में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की कुल संख्या क्या है? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त जनपद में कितने ऐसे परिवार हैं कि जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, लेकिन उन्हें उक्त सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? क्या सरकार ऐसे परिवारों का पुनः सर्वे करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	खाद्य
डा० नारायण सिंह जन्तवाल 12-01-2006	3. क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल अन्तर्गत भीमताल क्षेत्र में रेशम उत्पादन की अच्छी सम्भावनायें हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता का रेशम उत्पादन करने हेतु योजनाबद्ध तरीके से कारवाई करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	उद्यान
श्री प्रकाश पन्त 18-01-2006	4. क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बी०पी०एल०, ए०पी०एल० तथा अन्त्योदय कार्ड धारकों को वर्तमान में कितना खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है? क्या सरकार उक्त आवंटन की वृद्धि प्रस्तावित करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	खाद्य
श्री हरबंस कपूर 18-01-2006	5. क्या खाद्य आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून में एल.पी.जी. गैस के नये संयोजन हेतु दिनांक 1.4.2005 से अब तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए? क्या प्राप्त आवेदन पत्रों के विरुद्ध गैस एजेन्सियों द्वारा नये संयोजन उपलब्ध कराये गये हैं? यदि हाँ, तो कितने? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि शीघ्र आवेदनकर्त्ताओं को नये संयोजन कब तक उपलब्ध कराये जायेंगे?	खाद्य
श्री प्रीतम सिंह पंवार 23-01-2006	6. क्या खाद्य मंत्री अवगत हैं कि राज्य के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत ईंधन स्रोत घट रहे हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार रसोई गैस हेतु अलग से सब्सिडी देने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	खाद्य

- | | | |
|--------------------------------------|--|-------------|
| श्री प्रीतम सिंह पंवार
24-01-2006 | 7. क्या उद्यान मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के फलोत्पादकों (सेब) का ओलावृष्टि अथवा बर्फबारी के कारण सेब आदि फलों को प्रतिवर्ष भारी नुकसान पहुँचता है? यदि हाँ, तो क्या सरकार फलोत्पादकों की फसलों का फलोत्पादन बीमा प्रारम्भ करवायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? | उद्यान |
| श्री गोपाल सिंह राणा
24-01-2006 | 8. क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उधमसिंहनगर अन्तर्गत खटीमा में मिट्टी तेल की आपूर्ति कम की जा रही है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जन-जाति क्षेत्रों में मिट्टी तेल की आपूर्ति बढ़ाये जाने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? | खाद्य |
| श्री प्रीतम सिंह पंवार
25-01-2006 | 9. क्या उद्यान मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी के राजकीय उद्यान को निजी क्षेत्र में दिये जाने के फलस्वरूप शासन के मूल उद्देश्यों की पूर्ति करने में असमर्थ है? यदि हाँ, तो क्या सरकार दयारा स्कीइंग रिजार्ट को ध्यान में रखकर उक्त उद्यान में हर्बल विकास व व्यावसायिक पुष्पों की खेती करवाकर आर्थिक उन्नयन के साथ-साथ पर्यटकों के आकर्षण के केन्द्र के रूप में विकसित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों? | उद्यान |
| श्री गोपाल सिंह राणा
27-01-2006 | 10. क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनजाति क्षेत्र खटीमा में खेल स्टेडियम बनाये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ होगा? यदि नहीं, तो क्यों? | खेल |
| श्री हरबंस कपूर
08-02-2006 | 11. क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में क्रिकेट के विकास हेतु उत्तरांचल क्रिकेट एसोशियेशन का गठन हो गया है? यदि हाँ, तो उसका प्रारूप क्या है? यदि नहीं, तो क्या खेल विभाग प्रदेश में एक क्रिकेट एसोशियेशन गठित करने का प्रयास करेगी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो कब तक? | खेल |
| श्री अजय भट्ट
01-02-2006 | 12. क्या पंचायती राज मंत्री अवगत हैं कि अल्मोड़ा जिले के सल्ट विकासखण्ड की कुन्हील न्याय पंचायत की 11 (ग्यारह) एवं कुर्णधार न्याय पंचायत की 3 ग्राम सभाओं को जनहित में सल्ट विकासखण्ड से हटाकर भिक्यासैण विकासखण्ड में शामिल किये जाने की मांग क्षेत्रीय जनता द्वारा लम्बे समय से करती आ रही है? यदि हाँ, तो सरकार द्वारा आज तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? | पंचायती राज |



उत्तरांचल विधान सभा

नत्थी “ख”

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन।

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

1. श्री मातबर सिंह कण्डारी
नेता प्रतिपक्ष

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-
“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना,
2. ऊर्जा प्रदेश और पर्यटन प्रदेश का उल्लेख न किया जाना,
3. रोजगार और स्वरोजगार की कोई ठोस नीति बनाया जाना,
4. अफसरशाही पर अंकुश लगाया जाना,
5. दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, विजिटिंग प्रवक्ताओं, शिक्षा मित्र, शिक्षा बन्धु आदि का नियमितिकरण किया जाना,
6. विकल्पधारियों को उत्तर प्रदेश के लिए कार्यमुक्त करना,
7. अति दुर्गम, अति पिछड़े क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जाना,
8. प्रदेश में वन एवं नजूल भूमि पर वर्षों से काबिज कृषकों की भूमि का नियमितिकरण किया जाना,
9. कृषि के उत्पादों के विपणन की व्यवस्था करना,
10. राष्ट्रीय पार्कों और पशु विहारों के निकट बसे गांवों को हक-हकूक दिलाना,
11. सूखाग्रस्त प्रदेश के किसानों को ठोस राहत दिलाने की कार्ययोजना बनाना,
12. नई तहसीलों, उप तहसीलों में स्टाफ, भवन, फर्नीचर की सुविधा दिलाना एवं उन्हें संचालित करना,
13. उत्तर प्रदेश के साथ परिसम्पत्तियों का बंटवारा करना,
14. प्रदेश के भेड़ पालकों की ऊन के विपणन की व्यवस्था करना,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

15. सभी विभागों में छोटे-छोटे टेण्डर आमंत्रित करना, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकें,
16. जिनके पास मूल निवास प्रमाण-पत्र है उन्हें स्थाई मूल निवास प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए बाध्य न करना,
17. प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूल में मानक के आधार पर अध्यापकों की तैनाती करना,
18. दैवीय आपदा के बजट को समय पर सदुपयोग करना,
19. भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना,
20. विकास कार्यों की गुणवत्ता के लिए ठोस कदम उठाना,
21. रोजगार एवं स्वरोजगार योजना के लिए सरलता से ऋण दिलाना,
22. पारदर्शी एवं ठोस स्थानान्तरण नीति बनाना,
23. वित्तीय अनियमितता पर रोक लगाना,
24. सरकारी भर्ती में पारदर्शिता अपनाना,
25. बी0टी0सी0 की परीक्षा तत्काल शुरू करना,
26. शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ करना,
27. शराब की दुकानों के आवंटन में पारदर्शिता लाना एवं प्रदेश से शराब माफियाओं को खदेड़ना,
28. सड़कों के घटिया डामरीकरण की जांच करना,
29. पेयजल संकट वाले क्षेत्रों में जल संचय योजना पर बल देना,
30. आग एवं बाघ से जनमानस को सुरक्षा प्रदान करना,
31. मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण करना एवं कालाबाजारी को समाप्त करना,
32. रसोई गैस, चीनी, मिट्टी तेल के संकट को हल करना,
33. अन्नपूर्णा योजना, अन्त्योदय, बी0पी0एल0 का खाद्यान्न वितरण समय पर सही ढंग से करना,
34. प्रदेश के 13 जनपदों को सूखाग्रस्त घोषित करना,
35. गरीबों को कुटीर ज्योति की सुविधा प्रदान करना,
36. लघु सिंचाई द्वारा निर्मित की गयी बरसाती गूलों की जांच करना,
37. उत्तरांचल राज्य आन्दोलनकारियों के ऊपर लगे मुकदमों को वापस लेना,
38. व्यवसायिक शिक्षा, शिक्षा आचार्यों, अनुदेशक, विजिटिंग प्रवक्ताओं, शिक्षा मित्रों, शिक्षा बन्धुओं तथा पी0टी0ए0 (शिक्षकों), का नियमितिकरण करना,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

39. पैरामेडिकल फार्मसिस्टों को नियुक्ति देना,
40. विभिन्न विभागों में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, संविदा में कार्यरत कर्मचारियों, तदर्थ एवं नियत वेतनमान कर्मचारियों का नियमितिकरण करना,
41. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं एवं विकलांगों के आरक्षित पदों को भरना,
42. टिहरी बांध विस्थापितों की समस्या का निराकरण करना,
43. पटवारी भर्ती घोटाला, दरोगा भर्ती घोटाला, मण्डी परिषद भर्ती, वार्ड ब्याय भर्ती में अनियमितताओं का श्वेत-पत्र जारी करना,
44. बेरोजगारों को रोजगार एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराना,
45. अफसरशाही पर नकेल लगाना,
46. घोटालों पर श्वेत-पत्र जारी करना,
47. गरीबी रेखा से नीचे परिवारों का बीपीओएल कार्ड बनाना,
48. भारतीय वन संरक्षण अधिनियम-1980 को लचीला बनाना,
49. प्रदेश में बन्द पड़े औद्योगिक केन्द्रों को विकसित करना,
50. आधी-अधूरी जल विद्युत परियोजनाओं एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं को प्रदेश एवं राष्ट्रीय हित में चालू करना,
51. वर्ष 1992 एवं 1999 के विनाशकारी भूकम्प से पीड़ित कृषकों को राहत बांटना,
52. मोटर मार्ग निर्माण में कृषकों की भूमि के कटान-दबान का मुआवजा लोक निर्माण विभाग से दिलाना,
53. कृषकों को उनके अनाजों/फलों, गन्ने का उचित मूल्य दिलाना,
54. ऋषिकेश में 'एम्स' तथा श्रीनगर में मेडिकल कालेज शीघ्र खोलना,
55. पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन की प्रवृत्ति को रोकना,
56. ठेस खनन नीति एवं ठेस आबकारी नीति से प्रदेश का राजस्व बढ़ाना,
57. उत्तरकाशी, बागेश्वर, चमोली, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ के भेड़ पालकों की ऊन का उचित मूल्य दिलाना,
58. प्रदेश की चीनी मिलों को घाटे से उबारना,
59. बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिलाना,
60. दुर्गम, अति पिछड़े क्षेत्रों में अस्पताल, सड़क एवं कालेज खोलना,
61. माओवादियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखना,
62. लम्बे समय से जल संस्थान में कार्यरत पीओटीओ श्रमिकों का नियमितिकरण करना,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

63. लेखानुदान के बजाय पूर्ण बजट फरवरी/मार्च, 2006 में पेश करना तथा
64. स्वीकृत मोटर मार्गों एवं पुलों का निर्माण तत्काल करना।

2. श्री बिशन सिंह चुफाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. डीडिहाट को जनपद बनाये जाने,
2. शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने,
3. जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत राजकीय कन्या इण्टर कालेज डीडिहाट तथा राजकीय कन्या इण्टर कालेज थल का भवन निर्माण किये जाने,
4. जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत बेरीनाग चौकोड़ी तथा डीडिहाट नगर में लिफ्ट पेयजल योजना का निर्माण किये जाने,
5. जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत डीडिहाट तथा बेरीनाग में मिनी स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
6. जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत काली विनायक से तडीगांव डीडिहाट से आदेचौरा तथा पमतोड़ी से भातड मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
7. जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत रेतिस नदी के मोगड़ा के पास झूला पुल तथा राम गंगा नदी रिगूनिया में झूला पुल का निर्माण किये जाने,
8. जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत थल तेजम, टिमटिया, देकुना, बांसबगड़, खेत भराड़, खेतार कन्याल, मोगड़ा, बसौड़ा में तटबन्ध बनाये जाने,
9. जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत बांस बगड़ में खाद्यान्न गोदाम खोले जाने,
10. जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत डीडिहाट में पावर कारपोरेशन का कार्यालय खोले जाने,
11. जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत डीडिहाट विकास खण्ड एवं बेरीनाग विकास खण्ड में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने,
12. जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत सिराकोट, कोटगाड़ी तथा होकरा धार्मिक स्थलों का सौन्दर्यीकरण किये जाने,

क.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

13. जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत वर्ष 2005 में दैवी आपदा से नापड़ क्षेत्र में बहे पुलों का निर्माण किये जाने,
14. जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत रा0उ0मा0 विद्यालय कोटापन्दरपाला, रा0उ0मा0 विद्यालय मडभटीगांव रा0उ0मा0 विद्यालय जापका थल का उच्चीकरण किये जाने तथा
15. जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत पूर्व माध्यमिक विद्यालय सौगांव पूर्व माध्यमिक विद्यालय कघसाड पूर्व माध्यमिक विद्यालय धामी गांव पूर्व माध्यमिक विद्यालय चमाली का उच्चीकरण किये जाने।

3. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद चमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड पोखरी में राजकीय महाविद्यालय का भवन निर्माण किये जाने,
2. जनपद चमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड घाट में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना करने,
3. जनपद चमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड घाट में आई0टी0आई0 खोले जाने,
4. जनपद चमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड पोखरी एवं घाट में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास खोले जाने,
5. जनपद चमोली में बन रही जल विद्युत परियोजनाओं में स्थानीय बेरोजगारों को प्राथमिकता देने,
6. जनपद चमोली के अन्तर्गत सिवाई झूला पुल को मोटर पुल में परिवर्तन करने,
7. जनपद चमोली के अन्तर्गत तपोवन विष्णुगाड परियोजना में अधिग्रहित भूमि के भूस्वामियों को उचित मुआवजा देने,
8. जनपद चमोली के अन्तर्गत गोपेश्वर पोखरी एवं पोखरी कनकचौरी तथा पोखरी कर्णप्रयाग मोटर मार्ग का हाटमिक्स से सुधार कार्य करने,
9. जनपद चमोली के अन्तर्गत नन्दप्रयाग वैरासकुण्ड तक मोटर मार्ग निर्माण किये जाने,
10. जनपद चमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड घाट में पर्यटन आवास निर्माण किये जाने,
11. जनपद चमोली के नागनाथ मन्दिर के सौन्दर्यीकरण करने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

12. जनपद चमोली के कार्तिक स्वामी मन्दिर के पास पर्यटक आवास गृह बनाने,
13. जनपद चमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड घाट में घाट उस्तौली सरपाणी मोटर मार्ग निर्माण किये जाने,
14. जनपद चमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड पोखरी के थली से थालाबैण्ड, ब्राह्मणथाला, कनसारी ताली मोटर मार्ग निर्माण किये जाने,
15. जनपद चमोली के अन्तर्गत जूनियर हाईस्कूल खाल (पोखरी) चमोली का उच्चीकरण किये जाने,
16. जनपद चमोली के अन्तर्गत जूनियर हाईस्कूल पैढ़ी के उच्चीकरण किये जाने,
17. जनपद चमोली के अन्तर्गत रा0उ0मा0 विद्यालय पोगढा (पोखरी) चमोली का भवन निर्माण किये जाने,
18. जनपद चमोली के अन्तर्गत रा0इ0कालेज थालाबैण्ड एवं चौण्डी का भवन निर्माण किये जाने,
19. जनपद चमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड पोखरी के पोगढा, पैढी, स्वीठी में नये ए0एन0एम0 सेन्टर खोलने,
20. जनपद चमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड पोखरी के क्वीठी गांव हेतु जलापूर्ति किये जाने,
21. जनपद चमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड पोखरी के जूनियर हाईस्कूल सलना का उच्चीकरण किये जाने,
22. जनपद चमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड घाट के पगना, कनौल के जूनियर हाईस्कूल के उच्चीकरण किये जाने,
23. जनपद चमोली के अन्तर्गत घाट सूतोल कनोल मोटर मार्ग को पूर्ण कराये जाने,
24. जनपद चमोली के अन्तर्गत हापला मोटर मार्ग से धोतीधार तक मोटर मार्ग निर्माण किये जाने,
25. जनपद चमोली के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग पोखरी डिवीजन की पुनः स्थापना किये जाने,
26. जनपद चमोली के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के घाट स्थित निरीक्षण भवन के पुर्न निर्माण के किये जाने,
27. जनपद चमोली के अन्तर्गत नन्दप्रयाग स्थित वन विभाग के अतिथि गृह के निर्माण किये जाने,
28. जनपद चमोली के अन्तर्गत रडवा गांव (पोखरी) के गधरे पर झूला पुल निर्माण किये जाने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

29. जनपद चमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड घाट के विजार गांव को जोड़ने के लिए झूला पुल निर्माण किये जाने,
30. जनपद चमोली के अन्तर्गत सुखताल एवं झलताल को पर्यटन केन्द्र विकसित करने तथा
31. जनपद चमोली के अन्तर्गत भेड प्रजनन केन्द्र बंगाली (घाट) की बदहाल स्थिति को सुधारने।

4. श्री अनिल नौटियाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. प्रदेश में रोजगार नीति बनाये जाने,
2. जनपद चमोली के अन्तर्गत सीमान्त विकास प्राधिकरण का कार्यालय गैरसैण में शीघ्र खोले जाने,
3. जनपद चमोली के अन्तर्गत अपर निदेशक शिक्षा का कार्यालय गैरसैण में शीघ्र स्थापित किये जाने,
4. जनपद चमोली के अन्तर्गत राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की स्थापना गैरसैण विकास खण्ड में किये जाने,
5. प्रदेश में 1999 में आये विनाशकारी भूकम्प से प्रभावित सभी श्रेणियों के प्रभावितों को शीघ्र मुआवजा का भुगतान दिये जाने,
6. जनपद चमोली के अन्तर्गत तपोवन विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना से प्रभावित काश्तकारों को टिहरी विस्थापितों की तरह मुआवजा दिये जाने,
7. जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैण एवं कर्णप्रयाग विकास खण्ड के अन्तर्गत स्वीकृत मोटर मार्गों पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराये जाने,
8. जनपद चमोली के अन्तर्गत जू0हा0 कुणखेत, मैखोली, आन्द्रपा, पुनगांव बिछौना विजयसैण, पिण्डवाली सुनाक-गवाड़, दुवा विद्यालयों का उच्चीकरण किये जाने,
9. जनपद चमोली के अन्तर्गत रा0उ0मा0 विद्यालय भराड़ीसैण, मरोड़ा कन्या विद्यालय नौटी चौरासैण, बरतोली आदि विद्यालयों का उच्चीकरण किये जाने,
10. जनपद चमोली के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहाकारी संघ सिमली को पुनः चालू किये जाने तथा
11. जनपद चमोली के अन्तर्गत रोहिड़ा, सिदोली, कुनीगाड़ क्षेत्र में एलोपैथिक चिकित्सालय खोले जाने।

5. श्री कैलाश शर्मा

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत गोवर्धन तिवाड़ी बेस चिकित्सालय को मेडिकल कालेज बनाने,
2. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विकास खण्ड लमगड़ा में राजकीय पालीटेक्निक खोलने,
3. उत्तरांचल राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने,
4. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विकास खण्ड हवालबाग मुख्यालय में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय खोलने,
5. उत्तरांचल राज्य के पी0टी0ए0 अध्यापकों को नियुक्ति देने,
6. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत अल्मोड़ा नगर की गम्भीर पेयजल समस्या के समाधान हेतु सरयू नदी शेराघाट से पम्पिंग योजना बनाने,
7. उत्तरांचल प्रदेश में भयंकर सूखे के कारण समस्त उत्तरांचल को सूखाग्रस्त प्रदेश घोषित कर सहायता प्रदान करने,
8. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विकास खण्ड हवालबाग में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने,
9. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विकास खण्ड भैरियाछाना में राजकीय महाविद्यालय खोलने,
10. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विकास खण्ड लमगड़ा के विशौद पट्टी में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय खोलने,
11. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विकास खण्ड भैरियाछाना के राजकीय कन्या हाईस्कूल को इण्टर स्तर पर उच्चीकरण करने,
12. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विकास खण्ड लमगड़ा के राजकीय कन्या हाईस्कूल को इण्टर स्तर पर उच्चीकरण करने,
13. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विकास खण्ड लमगड़ा के कपिलेश्वर में पम्पिंग पेयजल योजना बनाने,
14. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विकास खण्ड हवालबाग में मिनी स्टेडियम बनाने,
15. प्रदेश में अघोषित विद्युत कटौती को दूर करने,
16. उत्तरांचल में ब्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने,
17. उत्तरांचल के अशासकीय विद्यालयों में वर्षों से रिक्त अध्यापकों/प्रवक्ताओं के पदों को भरे जाने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

18. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत पर्यटन स्थल कसारदेवी एवं जलना को विकसित करने,
19. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विकास खण्ड लमगड़ा में चायखान धारखोला मोटर मार्ग बनाने तथा
20. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत अल्मोड़ा नगर में राजकीय इण्टर कालेज एवं राजकीय बालिका इण्टर कालेज खोलने।

6. श्री अरविन्द पाण्डे

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. प्रदेश के राशन कार्डों का पुनरीक्षण किये जाने,
2. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत स्कार्ट फार्म काशीपुर में तराई के किसानों व मजदूरों का पुर्नवासन किये जाने,
3. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत बाजपुर विधान सभा क्षेत्र में गांव बाजपुर के टूटे हुए मेन पुल के पुर्ननिर्माण किये जाने,
4. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत बाजपुर में पेप्सी प्लांट के पास गढरी नदी के टूटे पुल का पुर्ननिर्माण किये जाने,
5. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत बाजपुर में बरैहनी व बेरिया दौलत तथा रैंट हाईस्कूल को इण्टर तक उच्चीकरण किये जाने,
6. प्रदेश में प्रमुख रूप से बाजपुर में अघोषित विद्युत कटौती किये जाने,
7. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत बाजपुर में इण्टर कालेज की प्रबन्ध कार्यकारिणी का पुर्नगठन करने,
8. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत बाजपुर विधान सभा क्षेत्र में बस अड्डे का निर्माण किये जाने,
9. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत काशीपुर को नया जिला बनाये जाने,
10. जनपद ऊधमसिंह नगर के राय सिखों की आर्थिक स्थिति को सुधारने तथा
11. जनपद ऊधमसिंह नगर की बुक्सा जनजाति के कल्याण के लिए ठोस कार्यवाही किये जाने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

7. श्री मालचन्द

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद उत्तरकाशी को सूखा क्षेत्र घोषित किये जाने,
2. बाढ़ से कास्त की भूमि कटाव का उचित मुआवजा दिये जाने,
3. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत पुरोला में सब्जी मण्डी खोले जाने,
4. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत पुरोला में कृषि विद्यालय खोले जाने,
5. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत केदार गंगा (मोरी) से लिफ्ट द्वारा गुन्दियारगांव कडियाल गांव, बसन्त नगर आदि हेतु पानी लाने,
6. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत वडियार गाड से लिफ्ट द्वारा कनाल ठकराल के समस्त गांवों की भूमि को सिंचित व नगदी फसलों से रोजगार हेतु लिफ्ट योजना बनाये जाने,
7. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत नैटवाड एवं सिदरी के छूटे विस्थापितों को विस्थापित किये जाने,
8. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत मोरी नौगांव गढोली में विश्राम भवन बनाये जाने,
9. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत केदार काण्ठा, सरताल, चागसील, देवक्यारा, हरकीदून आदि पर्यटक स्थलों को उत्तरांचल के मानचित्र में दर्शाये जाने एवं सौन्दर्यीकरण आदि के लिए धन स्वीकृत किये जाने,
10. प्रदेश में बस एवं छोटी गाडियों व पहाड़ों पर घास काटने, बकरी चुगाने, पत्ती काटने से दुर्घटना होने पर उचित मुआवजा देने,
11. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत गंगराड़ी, जखोल, फिताडी, किराणू तालुका में ऐलोपैथिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,
12. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत मोरी नौगांव, पुरोला में कोल्ड स्टोर खोले जाने,
13. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत पुरोला में रोडवेज बस अड्डा खोलने,
14. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत खाड़ा खुनीगाड, केदार गंगा एवं राजवर डाडा-छानि में मोटर पुल बनाये जाने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

15. हिमाचल पर्यटन की भान्ति लबी के मेले के अनुरूप शाकरी एवं मोरी राजगढी में पर्यटन मेले को मान्यता देने तथा
16. रोजगार हेतु सेव, आलू एवं जड़ी बूटियों से सम्बन्धित लघु उद्योग खोलने,

8. श्री चन्द्रशेखर

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. प्रदेश के किसानों की समस्याओं का निराकरण किये जाने,
2. बढ़ती हुई महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने,
3. आगामी वर्षा ऋतु में सम्भावित आपदाओं का निदान किये जाने तथा
4. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत घाड़ क्षेत्र के विकास हेतु योजना बनाये जाने।

9. श्रीमती विजय बड़थवाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद पौड़ी गढ़वाल की हर्युवल नदी पर बांध बनाकर सिंचाई किये जाने,
2. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल, विकास खण्ड यमकेश्वर एवं विकास खण्ड दुगड्डा पर्वतीय क्षेत्र के समस्त गांवों में रेन वाटर हारवेस्टिंग योजना बनाये जाने,
3. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल के स्थान देवीखेत में महाविद्यालय खोल जाने,
4. जनपद पौड़ी गढ़वाल के ग्राम अमोला बिचला ढांगू में स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
5. जनपद पौड़ी गढ़वाल के ग्राम खरीफ पट्टी विचला ढांगू में झील सौन्दर्यीकरण एवं विकास किये जाने,
6. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड यमकेश्वर की विन्धवासिनी नदी का पानी विन्धवासिनी नामक स्थान पर रोककर झील का निर्माण करने,
7. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड यमकेश्वर के स्थान किमसार क्षेत्र को साहसिक पर्यटन के लिए विकसित करने,

8. जनपद पौड़ी गढ़वाल के तीर्थ स्थल लक्ष्मणझूला, स्वर्गाश्रम में स्नान घाटों का गंगा तट पर निर्माण करने,
9. जनपद पौड़ी गढ़वाल के बी नदी पर पुल बनाने,
10. जनपद पौड़ी गढ़वाल के प्रसिद्ध तीर्थस्थल नीलकंठ के लिए ग्राम तोली, भादसी, हलदोगी, पटना लक्ष्मणझूला तक बाई पास मोटर मार्ग बनाने,
11. विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के रा0ए0 चिकित्सालय जसपुर भूगुखाल, लक्ष्मणझूला के उच्चीकरण किये जाने,
12. जनपद पौड़ी गढ़वाल के स्वर्गाश्रम, लक्ष्मणझूला समस्त ग्राम सभा जोंक को नगर पालिका बनाये जाने,
13. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड दुगड़डा में बहने वाली मालन नदी के जल को रोककर स्थान चूनामहेड़ा में बांध बनाये जाने,
14. जनपद पौड़ी गढ़वाल की चैलूसैण घट्टूगाड मोटर मार्ग को हाटमिक्स डामरीकरण किये जाने,
15. जनपद पौड़ी गढ़वाल के तुणखाल भुक्डी मोटर मार्ग का विस्तार व डामरीकरण किये जाने,
16. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल एवं विकास खण्ड यमकेश्वर को पिछडा क्षेत्र घोषित किये जाने,
17. जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल की दो पट्टियां और विकास खण्ड यमकेश्वर की दो पट्टियों को मिला कर जाखणीखाल को अलग विकास खण्ड बनाये जाने,
18. जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अतिरिक्त प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र कटघर तक मोटर मार्ग बनाये जाने,
19. विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के स्थान कंडाखनी खाल जनपद पौड़ी गढ़वाल के क0पू0मा0 जुयाल गांव का उच्चीकरण किये जाने तथा
20. जनपद पौड़ी गढ़वाल के स्थान डाडामण्डी में महिला हैंडीक्राफ्ट प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने।

10. श्रीमती आशा नौटियाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद रुद्रप्रयाग विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में श्री उत्तराखण्ड विद्यापीठ राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने,

2. जनपद रुद्रप्रयाग में तल्लानागपुर में भारी पेयजल संकट के निराकरण की योजना बनाये जाने,
3. जनपद रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ से देवरियाताल में पर्यटकों की सुविधा हेतु रज्जुमार्ग बनाये जाने,
4. जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत पर्यटन गांव त्रियुगीनारायण तथा नारायणकोटि का विकास तथा सौन्दर्यीकरण किये जाने,
5. जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय अगस्त्यमुनि में स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान संकाय खोले जाने,
6. जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल ककोडाखाल में स्व० अनुसूया प्रसाद बहुगुणा के साथ-साथ अन्य आन्दोलनकारियों का स्मृति पटल तथा सौन्दर्यीकरण किये जाने,
7. जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को बी०पी०एल० कार्ड बनाये जाने,
8. जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत गौरीकुण्ड से रामवाडा केदारनाथ तक मोटर मार्ग निर्माण किये जाने,
9. जनपद रुद्रप्रयाग में निर्माणाधीन मोटरमार्गों का मुआवजा वितरण किये जाने,
10. जनपद रुद्रप्रयाग में स्थान चोपता शीतगृह (कोल्ड स्टोर) का निर्माण किये जाने,
11. जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत नागजगई में ऐलोपैथिक अस्पताल की स्थापना किये जाने,
12. जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत राऊलैक में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना किये जाने,
13. जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत कन्या जूनियर हाईस्कूल गुप्तकाशी का उच्चीकरण किये जाने,
14. जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत स्थान चोपता के चांदधार में खेल मैदान का निर्माण किये जाने,
15. जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से घुत्तु भटवाडी पर्यटकों के सुविधा हेतु मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
16. जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत शहीद उदय सिंह के नाम पर नगरासू डीडोली झूला पुल का निर्माण किये जाने तथा
17. जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में महिला पालिटैक्निक की स्थापना किये जाने।

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

11. काजी निजामुद्दीन

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. प्रदेश में सरकारी नियुक्तियों में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त स्थानों को भरे जाने,
2. जनपद हरिद्वार और जनपद ऊधमसिंह नगर को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने,
3. राज्य के गन्ना क्षेत्र को मिल की पेराई क्षमता के अनुसार पेराई सत्र 2005-2006 समाप्त होने से पहले गन्ना क्षेत्र का पुनः निर्धारण किये जाने,
4. जनपद हरिद्वार में गंगा केनाल की सभी सिंचाई इकाईयों को उत्तरांचल राज्य को तुरन्त अपने नियंत्रण में लेने,
5. किसानों को सिंचाई के लिए निशुल्क बिजली देने,
6. राज्य की समस्त चीनी मिलों को इथेनील बनाने और बिजली उत्पादन की अनुमति देने,
7. राज्य के समस्त बिजली उपभोक्ताओं को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति एवं स्थिर वोल्टेज सुनिश्चित करने,
8. यूनानी चिकित्सा पद्धति चिकित्सकों को सरकारी नियुक्तियां देने,
9. वर्ग एक और वर्ग-4 की भूमि का नियमितिकरण करने,
10. स्पष्ट शीरा नीति घोषित किये जाने,
11. विद्युत छीजन को कम करने तथा
12. जिन विद्युत उपभोक्ताओं को 40 मी० से अधिक लम्बे केबल से विद्युत आपूर्ति प्राप्त होती है उन उपभोक्ताओं के केबल के स्थान पर विद्युत विभाग द्वारा खम्बे लगाये जाने।

12. श्री प्रीतम सिंह पंवार

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखण्ड किये जाने,
2. उत्तर प्रदेश राज्य के विकल्पधारी कार्मिकों को वापस भेजने,
3. उत्तराखण्ड राज्य प्राप्ति आन्दोलनकारियों को सम्मान दिए जाने,
4. उत्तराखण्ड राज्य प्राप्ति आन्दोलनकारी शहीदों के आश्रितों को रोजगार व सम्मानित करने,

5. राज्य की स्थायी राजधानी घोषित किये जाने,
6. राज्य के बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए स्पष्ट नीति बनाने,
7. राज्य के ऐसे क्षेत्र जहां पर ग्रामीणों द्वारा वन विभाग से लीज पर भूमि ली गई है लीज वन भूमि का पट्टा स्थायी किये जाने,
8. कुमाऊ इंजीनियरिंग कालेज द्वाराहाट का नाम स्व० विपिन चन्द्र त्रिपाठी के नाम करने,
9. टिहरी बांध परियोजना प्रभावितों के समुचित पुनर्वास किये जाने,
10. टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित जनपद उत्तरकाशी के 16 गांवों के ग्रामीणों का पुनर्वास तथा अवेशण भूमि, मकान गौशालायें, घराट, सिंचाई गूलें, हौज, छानचौक का प्रतिकर भुगतान करने,
11. विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत विकास खण्ड चिन्यालीसौड की पट्टी गमरी, दिचली और बिष्ट को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने,
12. बड़कोट, पुरोला मोरी विकास खण्ड (रवाई घाटी) के नाम से पृथक जनपद बनाने,
13. राजकीय महाविद्यालय बड़कोट व चिन्यालीसौड के भवन निर्माण हेतु शीघ्र भूमि चयन करने,
14. राज्य के पर्वतीय जनपदों को पूर्ण सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने,
15. वरुणावत भूस्खलन प्रभावितों को समुचित सहायता प्रदान करने,
16. राजकीय ऐलोपैथिक चिकित्सालय बनचौरा का उच्चीकरण करने,
17. विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री अन्तर्गत मताड़ी, स्यानाचट्टी गढ़ (नौगांव) कोटधार (दशमी) टिपरी (बिष्ट) बधाणगांव, रौन्तल (गमरी) मालना ओर मजगांव (भण्डारस्यू) में राजकीय ऐलोपैथिक चिकित्सालय खोलने,
18. विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत जूनियर हाईस्कूल स्यानाचट्टी, गढ़ ओडगांव (नौगांव) जूनियर हाईस्कूल बधाणगांव, छोटी मणी, दिचली, कांसी, ज्येष्ठवाड़ी का हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण करने,

19. विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत रा0उ0मा0वि0 कण्डारी (नौगांव), कामदा, चमियारी, घटवालधार (मालना), मंजगांव (भण्डारसूँ) का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण करने,
20. जनपद उत्तरकाशी में महिला चिकित्सालय स्थापित किये जाने,
21. विकास खण्ड नौगांव व चिन्यालीसौड़ मुख्यालयों में मिनी मण्डी स्थापित किये जाने,
22. यमुना नदी (मुलाणा) में पैदल झूला पुल का निर्माण करने,
23. विकास खण्ड नौगांव के मुलाणा व चिन्यालीसौड़ में मिनी स्टेडियम का निर्माण करने,
24. राज्य के लोगों को रसोई गैस पर विशेष सब्सिडी दिये जाने,
25. जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत कुवां-बर्नीगाड, मुलाणा, खरादी, आदि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण कार्य करवाने,
26. जनपद उत्तरकाशी के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र यमुनोत्री धाम का ट्रीटमेन्ट कार्य कराने,
27. जनपद उत्तरकाशी के बनास, खरसाली, राना, नौगांव, धरासू, नाकुरी, हर्षिल, मुखवा, धराली, कफनौल ग्योण्योटी को पर्यटन ग्राम घोषित करने,
28. यमुनोत्री विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पट्टी गमरी, बिष्ट विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ को टिहरी बांध परियोजना प्रभावित होने के कारण विशेष आर्थिक पैकेज जनसुविधाओं के लिए दिए जाने,
29. राज्य की पौराणिक सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने,
30. गढ़वाली और कुमांऊनी भाषा के उन्नयन/संरक्षण के लिए गढ़वाली और कुमांऊनी भाषा संस्थान स्थापित करने,
31. प्रसिद्ध पांचवें तीर्थ सेम नागराजा (सेम मुखेम) को चार धाम यात्रा पैटर्न पर विकसित किये जाने,
32. उत्तरकाशी वारुणी पंचकासी यात्रा मार्ग पर अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने,
33. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत जगड़गांव (दिचली) और धरासू वैण्ड से महरगांव चमियारी उलण होते हुए सेम नागराजा मन्दिर तक ट्रेकिंग मार्ग निर्माण करने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

34. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत बनास से हरकीदून तथा हनुमानचट्टी से डोडीताल तक पर्यटक ट्रेकिंग मार्ग का निर्माण किये जाने,
35. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत राना (गीठ) धिनाड़ा, कुपड़ा, लोदरीताल, नागटिब्बा, कण्डक, जगदेई रुपनौल सौड़ा, डांडा, दनाऊ, नागणी ठांग, नचिकेताताल, डोडीताल आदि पर्यटक स्थलों का सौन्दर्यीकरण करने तथा ट्रेकिंग पहुंच मार्गों का निर्माण किये जाने,
36. दयारा बुग्याल शीतकालीन क्रीड़ा केन्द्र महायोजना का निर्माण करने,
37. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत रैथल-दयारा-डोडीताल ट्रेकिंग मार्ग का निर्माण करने,
38. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत चामी सिंगुणी-मोलागांव नौगांव गोडर सुल्याखोल मोटर मार्ग निर्माण करने,
39. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत वणगांव चोपड़ा कसलाना मोटर मार्ग, गमरागढ़ देवल मोलयात से जान्दणू मोलागांव नौगांव गोडर मोटर मार्ग, निर्माण, सारीगाड-गातू-ओडगांव-जुगडगांव मोलागांव नौगांव गोडर मार्ग निर्माण स्यालना-पटारा नालूपानी मोटर मार्ग, धरासू चमियारी, गमरी उलण मोटर मार्ग निर्माण, चिन्यालीसौड़ा कोटवागी मोटर मार्ग निर्माण, स्यानाचट्टी कुडार मोटर मार्ग निर्माण, स्यानाचट्टी-कुपड़ा मोटर मार्ग निर्माण किये जाने,
40. मसूरी-भवान-नगुण मोटर मार्ग के अवशेष मात्र का शीघ्र निर्माण किये जाने,
41. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत नौगांव व चिन्यालीसौड़ा में बालिका हाईस्कूल खोले जाने,
42. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत डामटा और नौगांव में शीतगृह स्थापित किये जाने,
43. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत जगदेई टांप, देवराणा टांप में दूरदर्शन टावर स्थापित किये जाने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने,
44. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत बनचौरा, कलोगी, जगदेई (श्रीकोट) में मोबाईल टावर स्थापित किये जाने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने,
45. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत बनचौरा में दूरभाष एक्सचेंज स्थापित किये जाने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने,

46. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत बरनीगाड में विद्युत सब स्टेशन स्थापित करने,
47. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत नौगांव मुंगरा में पर्यटक यात्री आवास गृह का निर्माण करने,
48. जानकी चट्टी और गंगोत्री में बस अड्डे का निर्माण करने,
49. देहरादून-मसूरी-नैनबाग-पन्तवाडी-ऐन्दी-बनचौरा-बढ़ेथी चिन्यालीसौड तक परिवहन निगम की बस सेवा संचालित करने,
50. देहरादून मसूरी-नैनबाग-नौगांव-बड़कोट-ब्रहमखाल उत्तरकाशी तक नियमित परिवहन निगम की बस सेवा संचालित करने,
51. देहरादून-चम्बा-चिन्यालीसौड जोगथ तक परिवहन निगम की नियमित बस सेवा प्रारम्भ करने,
52. देहरादून-मसूरी, नैनबाग, नौगांव, बड़कोट, स्थानाचट्टी जानकी चट्टी तक परिवहन निगम की सेमी-डीलक्स बस सेवा संचालित करने,
53. स्थानीय उत्पाद व जडी बूटी उद्योग उत्तरकाशी में स्थापित करने,
54. उत्तरकाशी बस अड्डे के समीप स्थित जिला उद्योग केन्द्र के कास्तकला केन्द्र, शोरूम, कार्डिंग प्लान्ट अन्य भवनों के जिला पंचायत नगरपालिका परिषद को हस्तान्तरण पर शीघ्र रोक लगाने,
55. वर्षों से वन भूमि पर रोजीरोटी, औद्योगिकीकरण, कृषि, आदि के लिए ग्रामीणों द्वारा किए गये कब्जों को काश्तकारों के नाम न्यूनतम शुल्क लेकर स्थायी पट्टे आवंटित करने,
56. विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षण प्राप्त सभी प्रशिक्षितों को शीघ्र सहायक अध्यापक पदों पर नियुक्ति दिये जाने,
57. शिक्षा आचार्यों को विद्याकेन्द्रों से अपग्रेड प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति दिए जाने,
58. विभिन्न विभागों में समूह ग और घ के पदों पर जिलों के मूल निवासियों से भर्ती सुनिश्चित करने,
59. राज्य में युवाओं के लिए युवा नीति का निर्धारण करने,
60. महिला सशक्तीकरण हेतु महिलाओं के उत्थान के लिए व्यापक और कारगर कार्ययोजना बनाने,
61. राज्य के शिक्षित बेरोजगारों को नदी चुगान व खनन के पट्टे आवंटन में शिथिलता प्रदान करने,

62. विजोरी तोक दिवारीखोल (चिन्वालीसौड) उत्तरकाशी में श्री राजीव गांधी नवोदय विद्यालय भवन निर्माण प्रारम्भ किये जाने,
63. यमुनोत्री विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कलोगी, स्थानाचट्टी (नौगांव) ज्येष्ठवाड़ी, पोखरीसौड (जोगथम) में पशु चिकित्सालयों की स्थापना किये जाने,
64. धरासू दिकोली-सर्जसाफ्ट रौन्तल मोटर मार्ग, धरासू-सुरी तराकोट मोटर मार्ग, सुल्थाखोल-नौगांव गोडर मोटर मार्ग (स्वीकृत) का शीघ्र निर्माण कराने,
65. यमुनोत्री विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों (क्षतिग्रस्त) का पुर्ननिर्माण करने,
66. विकास खण्ड भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी के ग्राम अठाली मध्ये तिमली तोक में दिनांक 27-8-2005 को बादल फटने के कारण हुए भूस्खलन से हुई क्षति के कारण काश्तकारों को समुचित सहायता प्रदान करने व बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य करवाये जाने,
67. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत नाकुरी-सिंगोट फलारचा गंगाणी मोटर मार्ग का शीघ्र निर्माण कराने,
68. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत बन्दरकोट-बौन से भन्साड़ी स्थालना-खरादी (उत्तरकाशी) मोटर मार्ग की स्वीकृति प्रदान करने,
69. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत मल्ला-सौरा-बेलख-घुत्तु त्रियुगीनारायण मोटर मार्ग निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने,
70. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी में एल0एल0बी0 व बी0एल0 की कक्षाएँ इसी सत्र से संचालित करने,
71. प्रत्येक जनपद में ओल्ड-एज-होम स्थापित करने,
72. विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री अन्तर्गत चिन्वालीसौड जोगथ-लम्बगांव अवशेष भाग 03 कि0मी0 का शीघ्र निर्माण कराये जाने,
73. टिहरी बांध प्रभावित क्षेत्र बल्डोगी में राजकीय इण्टर कालेज व राजकीय ऐलोपैथिक चिकित्सालय का शीघ्र निर्माण करने,
74. वनाग्नि को दैवीय आपदा घोषित करने,
75. सड़क दुर्घटनाओं में घायलों व मृतकों के लिए मुआवजा व आर्थिक सहायता प्रदत्त किये जाने हेतु राज्य में एक समान नीति लागू किये जाने,

76. जनपद उत्तरकाशी में भेड़ पालकों को ऊनी वस्त्रों हेतु कार्डिंग आदि सुविधायें रियायतों पर दिए जाने, हर्षिल, डुण्डा, नौगांव में भेड़ प्रजनन केन्द्र सुविधायें संचालित करने,
77. राज्य के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने,
78. चिन्वालीसौड़-पीपलमण्डी व बड़कोट में सीवर लाईन का निर्माण,
79. राजकीय इंटर कालेज बनचौरा, श्रीकोट, पोखरीसौड़ (जोगथ) कोटधार (जिव्या), बरनीगाड खरादी, डामटा, कोटधार (गमरी) के विद्यालय भवनों का शीघ्र निर्माण करने,
80. राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कामदा, चमियारी, रौन्तल, कफनौल, घटवालधार (मालना) जुणगा, मंजगांव, कण्डारी, विद्यालय भवनों का निर्माण करने,
81. जनपद उत्तरकाशी में सुनारगांव-अनौल, कुवां बरनीगाड, अठाली (भटवाड़ी) लिफ्ट सिंचाई योजना का शीघ्र निर्माण करने,
82. पाला मनेरी और लोहारीनाग पाला जल विद्युत परियोजना में स्थानीय प्रभावित शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने,
83. बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने,
84. राज्य में बढ़ रहे अपराधों को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने,
85. राज्य की सड़कों पर डेन्जर जॉन चिह्नित कर वाहन दुर्घटनाओं पर रोक लगाने हेतु कार्यवाही करने,
86. प्रसिद्ध तीर्थ धाम यमुनोत्री को वैष्णोदेवी पैटर्न पर विकसित किये जाने हेतु महायोजना का निर्माण कर क्रियान्वित कराने तथा
87. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत रनाड़ी-अठाली-चामकोट-दिलसौड़ मोटर मार्ग का शीघ्र निर्माण करने।

13. श्री अजय भट्ट

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय:-

“किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. उत्तरांचल के प्रत्येक जिले के स्थानीय युवकों को रोजगार दिलाने,
2. उत्तरांचल के विजिटिंग फैक्टरी, शिक्षक बन्धु एवं शिक्षक मित्रों को नियमित करने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

3. उत्तरांचल की महिलाओं के उत्थान हेतु कोई योजना बनाने,
4. उत्तरांचल के लोक निर्माण विभाग एवं जल संस्थान के दैनिक भोगी एवं तदर्थ कर्मचारियों को नियमित किये जाने,
5. पूर्व से कार्यरत कुशल दाईयों को मानदेय दिये जाने,
6. प्राथमिक विद्यालयों में दिन के भोजन वितरण में हो रही कठिनाइयों का निराकरण किये जाने,
7. सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बनाये जा रहे प्राथमिक विद्यालयों एवं जूनियर हाईस्कूलों के घटिया भवनों का पुर्ननिर्माण किये जाने,
8. राज्य के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 50-50 हैण्ड पम्प दिये जाने,
9. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विकास खण्ड ताड़ीखेत के खनिया एवं जेठ गांव की पेयजल समस्या के समाधान हेतु छोटी पम्पिंग योजना बनाये जाने,
10. अल्मोड़ा जिले में चिलियानौला क्षेत्र की गम्भीर पेयजल समस्या का समाधान किये जाने,
11. अल्मोड़ा जिले के विकास खण्ड ताड़ीखेत में स्वीकृत रुमा-बजीना पेयजल योजना का आज तक कार्य प्रारम्भ न होने,
12. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रानीखेत से चौबटिया तक रोप वे बनाये जाने,
13. अल्मोड़ा जिले के रानीखेत नगर की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए छात्राओं के लिए एक राजकीय बालिका इण्टर कालेज एवं छात्रों के लिए एक राजकीय इण्टर कालेज खोलने,
14. जनपद अल्मोड़ा के तहसील रानीखेत के अन्तर्गत रानीखेत-पन्तकोटली मोटर मार्ग के चौड़ीकरण किये जाने,
15. जनपद अल्मोड़ा के कालिका-दलमोटी सड़क पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ करने,
16. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत चौबटिया (रानीखेत) स्थित उद्यान निदेशालय की रिसर्च शाखा से चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को नियम विरुद्ध जिले एवं मण्डल से बाहर किये गये स्थानान्तरण आदेश को निरस्त किये जाने,
17. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत तहसील रानीखेत के खिरखेत में 06 बिस्तरों का एक चिकित्सालय खोलने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

18. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत तहसील रानीखेत के डोल की धार में 6 बिस्तरों का एक अस्पताल खोलने,
19. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत तहसील रानीखेत के बगवान नामक स्थान में 6 बिस्तरों का एक अस्पताल खोलने,
20. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रानीखेत क्षेत्र में गौ-वंश सुरक्षा हेतु एक गौशाला खोलने,
21. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रानीखेत को जिला बनाने,
22. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत अशासकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों की सेवानिवृत्ति उच्च शासकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य के समान करने हेतु,
23. अल्मोड़ा जिले के ताड़ीखेत में उत्तरांचल परिवहन निगम के डिपो का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ किये जाने,
24. उत्तरांचल के डिग्री कालेजों में अध्यापकों की शीघ्र पूर्ति करने,
25. राज्य में राजस्व अमीनों को नियमित करने,
26. उत्तरांचल लोक निर्माण विभाग में अमीनों की नियुक्ति करने,
27. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत वि०ख० ताड़ीखेत के राजस्व ग्राम पपना को पृथक ग्राम सभा के रूप में मान्यता प्रदान करने,
28. उत्तरांचल में खोली गयी नई तहसीलों एवं उप तहसीलों में एस०डी०एम०, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार समेत सभी कर्मचारियों की नियुक्ति करने,
29. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रानीखेत तहसील के अन्तर्गत खैरना-ज्याड़ी सड़क स्वीकृत करने,
30. जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत तहसील के अन्तर्गत गनियाद्योली-विश्वा डोबा-पाली-जखोली सड़क स्वीकृत करने।
31. अल्मोड़ा जिले में राम गंगा-चमड़खान पम्पिंग योजना का निर्माण किये जाने,
32. अल्मोड़ा जिले के तहसील रानीखेत के ग्राम खनिया की छोटी पम्पिंग पेयजल का निर्माण किये जाने,
33. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रानीखेत-एरोड़ मंचौड़ा, मकणु-पीपलटाना मोटर मार्ग में शीघ्र कार्य प्रारम्भ किये जाने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

34. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत द्वारसो-काकड़ी घाट, द्वारसो-शीतलाखेत, सौनी-देवलीखेत इयोडाखाल, चौबटिया-कुनेलाखेत-बमस्यूँ, ताड़ीखेत-पीपली मज्यूरखान, गनियाघोली-सिगोली-अम्याड़ी एवं गनियाघोली-ढाना-बिशालकोट सड़को के डामरीकरण किये जाने,
35. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत द्वारसो-काकड़ी घाट सड़क का कार्य प्रारम्भ कराने,
36. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रानीखेत चलना-गगास स्वीकृत सड़कों का एवं दड़माड़ पुल का कार्य प्रारम्भ करने,
37. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत काकड़ी घाट-शीतलाखेत के शेष अपूर्ण भाग की स्वीकृति प्रदान किये जाने,
38. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत खिरखेत-कारचूली स्वीकृत सड़क का निर्माण प्रारम्भ करने,
39. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत ज्यूड़ा-गनेल से सिलोर महादेव तक स्वीकृत सड़क का निर्माण प्रारम्भ करने,
40. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत ताड़ीखेत-पीपली-मज्यूरखान स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने,
41. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत गनियाघोली-ढाना-बिशालकोट की स्वीकृत सड़क का कार्य प्रारम्भ करने,
42. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत इयाडाखाल से पस्तोड़ा-बधिया-चमड़खान सड़क का कार्य प्रारम्भ किये जाने,
43. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत खैरना से ज्याड़ी-बोहरागांव पोखरी स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने,
44. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत भुजान-चापड़-बिल्लेख स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने,
45. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उप्राड़ी-शिलंगी स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने,
46. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत सिरौली बैण्ड से बेड़गांव तक स्वीकृत एक किमी० सड़क का कार्य प्रारम्भ किये जाने,
47. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत ताड़ीखेत-थकुलाड़ी-बैना-मटेला मनिहार स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने,
48. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत ताड़ीखेत-पथुली-मण्डलकोट स्वीकृत सड़को का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने,
49. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत मजखाली-दिगोटी-दुगौड़ा मोटर मार्ग की स्वीकृति दिये जाने,

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

50. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थिति को मध्य-नजर रखते हुए जिले के मजखाली क्षेत्र में वि०ख० की स्थापना किये जाने,
51. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थिति को मध्य-नजर रखते हुए अल्मोड़ा जिले के जालली क्षेत्र को विकास खण्ड घोषित किये जाने,
52. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थिति को मध्य-नजर रखते हुए जिले के मछोड़ क्षेत्र को विकास खण्ड का दर्जा दिये जाने,
53. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजों में रिक्त पड़े अध्यापकों के पदों पर शीघ्र नियुक्ति प्रदान किये जाने,
54. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत सरकारी अस्पताल रानीखेत के रिक्त पड़े चिकित्सकों के पद पर शीघ्र नियुक्ति किये जाने,
55. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत सरकारी अस्पताल रानीखेत को एक रैफरल हास्पिटल के रूप में विस्तारित किये जाने तथा
56. अल्मोड़ा जिले के विकास खण्ड ताड़ीखेत एवं विकास खण्ड द्वाराहाट में पडने वाले जूनियर हाईस्कूल एवं हाईस्कूलों के उच्चीकरण किये जाने।